

भारत सरकार  
नागर विमानन मंत्रालय  
लोक सभा  
लिखित प्रश्न संख्या : 1978  
गुरुवार, 31 जुलाई, 2025/9 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों की कमी

1978. श्री जुगल किशोर:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देशभर के कई छोटे विमानपत्तनों पर स्थायी हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों (एटीसीओ) की भारी कमी से अवगत है;

(ख) क्या कई श्रेणी-सी विमानपत्तनों पर एक ही एटीसीओ को रनवे क्लीयरेंस, रडार निगरानी और मौसम संबंधी रिपोर्टिंग जैसे अत्यधिक संवेदनशील कार्यों का काम सौंपा जा रहा है, जिससे विमानन सुरक्षा और संरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का सभी विमानपत्तनों पर न्यूनतम मानकों के अनुसरण में पूर्णकालिक तकनीकी मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कार्य योजना कार्यान्वित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग) : वॉच ड्यूटी समय-सीमा (डब्ल्यूडीटीएल) के संबंध में नागर विमानन महानिदेशालय - नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों (एटीसीओ) की तैनाती की जाती है जो अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और हवाईअड्डों पर हवाई यातायात की संख्या के अनुरूप होता है ताकि सुरक्षित और कुशल हवाई यातायात प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा सके। मौजूदा नियमों और मानकों के अनुसार उपलब्ध जनशक्ति के इष्टतम उपयोग के माध्यम से विमानन सुरक्षा को बनाए रखा जाता है।

हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों (एटीसीओ) की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है जो डीजीसीए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निष्पादित की जाती है। कुल 5537 एटीसीओ के स्वीकृत कार्यबल के साथ, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विभिन्न हवाईअड्डों पर परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर समय-समय पर एटीसीओ की आवश्यकता का आंकलन करता है। सीधी भर्ती के साथ-साथ विभागीय परीक्षाओं के माध्यम से रिक्तियां भरी जाती हैं।

\* \* \* \* \*